

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

रीडर/2023/1838

दिनांक - 12/05/2023

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

पेमाराम पुत्र  
गोकलाराम जाति जाट  
निवासी महेशाणी गोदारों  
की ढाणी, हाथीतला  
तहसील व जिला  
बाडमेर।


1 हनुमानराम 2 मदाराम 3 मांगाराम 4 नवलकिशोर पिसरान  
भीखाराम 5 इमरती पत्नी भीखाराम 6 पदमाराम पुत्र गोकलाराम  
7 बांकाराम 8 मूलाराम पिसरान नेनाराम 8 खेतुदेवी पत्नी  
चिमाराम 10 गेनाराम पुत्र अचलाराम 11 चेतनराम पुत्र कलाराम  
12 जीयादेवी पत्नी कलाराम 13 ठाकराराम पुत्र राजूराम 14  
डूंगाराम पुत्र गंगाराम 15 दिलीपकुमार पुत्र घमण्डाराम 16  
दिलीप कुमार पुत्र चिमाराम 17 दौलाराम पुत्र कलाराम 18  
पताराम पुत्र गंगाराम 19 पूनमाराम पुत्र राजूराम 20 मांगीदेवी  
पत्नी घमण्डाराम 21 रेखाराम 22 लाखाराम पिसरान कलाराम  
23 बगताराम 24 बनाराम पिसरान अचलाराम 25 सतपालसिंह  
पुत्र चिमाराम 26 सोनाराम पुत्र जुगताराम 27 हनुमानराम पुत्र  
गंगाराम जाति जाट 28 रतनाराम 29 दमाराम 30 केवलराम  
पिसरान मंगलाराम 31 देदाराम पुत्र जोधाराम जाति मेघवाल  
निवासी महेशाणी गोदारों की ढाणी रामदेरिया हाथीतला तहसील  
व जिला बाडमेर 32 तहसीलदार बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 317/2022

दिनांक- 28/04/23

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा महेशाणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 289 रकबा 6.3940 हैक्टेयर, खसरा संख्या 366/292 रकबा 3.7636 हैक्टेयर कुल रकबा 10.1576 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

  
(समदरसिंह भाटी)


उपखण्ड अधिकारी,  
बाडमेर

दिनांक- 12/05/2023

क्रमांक :- रीडर/2023/1839-1842

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी हाथीतला तहसील बाडमेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. पेमाराम पुत्र गोकलाराम जाति जाट निवासी महेशाणी गोदारों की ढाणी, हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी हनुमानराम पुत्र भीखाराम वगैराह जाति जाट निवासी महेशाणी गोदारों की ढाणी रामदेरिया हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाडमेर